बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना–23, दिनांक–

संख्या–02 / स्था0–02–02 / 2024 / .... / आ0प्र0 / 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयनित 43 (तैंतालीस) अभ्यर्थियों की सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–110 / लो0से0आ0 / गो0, दिनांक–21.02.2024 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के क्रमांक–35 पर श्री पुष्कर कुमार (अनुक्रमांक–103324) का नाम अंकित है।

2. दस्तावेज सत्यापन हेतु गठित विभागीय सत्यापन दल से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी के रिक्त पद पर वेतन लेवल–8 (वेतन–47,600–1,51,100 / –) एवं समय–समय पर राज्य सरकार से स्वीकृत भत्ता पर निम्नांकित 01 (एक) अभ्यर्थी को पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी रूप से अधोलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुए स्तम्भ–6 में अंकित जिला में अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता हैः–

क्र0	नवनियुक्त पदाधिकारी का नाम	अनुक्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर	गृह जिला	पदस्थापित जिला का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री पुष्कर कुमार	103324	अनुसूचित जाति	मुंगेर	सीतामढ़ी

3. उक्त अभ्यर्थी प्रभार ग्रहण करते समय सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0 सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने–देने संबंधी घोषणा पत्र के साथ ही असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

4. यह नियुक्ति अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में मात्र औपबंधिक रूप से की जाती है। उक्त अभ्यर्थी की औपबंधिक नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र में दी गयी सूचनायें भविष्य में गलत पाये जाने पर अथवा पुलिस सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल प्राप्त होने पर अन्यथा किसी और कारण से नियुक्ति रद्द करने का एकल अधिकार सरकार को रहेगा और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध ली गयी राशि की वसूली अथवा अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

6. नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियमानुसार होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस अवधि में ये ''बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली–2022'' में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे।

7. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सु0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–2082 दिनांक–01.04.2003 के अनुपालन में अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है, जिसे प्रभार ग्रहण करने के समय मूलरूप में प्रस्तुत करना होगा।

8. अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि वे दो दिनों के अन्दर स्तम्भ–6 में अंकित जिला में प्रभार ग्रहण कर लेंगे तथा इसकी सूचना मूल नियुक्ति पत्र की छायाप्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में अवधि के विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।

9. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन पदाधिकारी पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

10. प्रमाण–पत्रों की जाँच/सत्यापन की प्रत्याशा में योगदान की तिथि से तीन माह तक वेतन भुगतान औपबंधिक रूप से किया जायेगा। प्रमाण–पत्रों की जाँच तीन माह के अन्दर नहीं होने की स्थिति में वेतन भुगतान स्थगित रहेगा।

11. पदभार ग्रहण के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. पूर्व से सेवारत अभ्यर्थी द्वारा विधिवत रूप से विरमित/त्याग पत्र स्वीकृत होने के पश्चात ही उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा।

13. प्रासंगिक पद पर होने वाला व्यय मांग संख्या–39, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–80–001–0001–आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

14. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(मो0 नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–02–02/2024/................../आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना/ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को CD सहित राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

मुद्रित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियाँ आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–02–02/2024/................/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–02–02/2024/................/आ0प्र0, पटना–23, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी से अनुरोध है कि वे अभ्यर्थी द्वारा प्रभार ग्रहण करने के संबंध में उपरोक्त शर्तों के तहत स्वयं संतुष्ट होकर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को भेजने की कृपा करेंगे। साथ ही, जो अभ्यर्थी पूर्व से कहीं कार्यरत है, उनके द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र समर्पित करने पर ही प्रभार ग्रहण करने की अनुमति देंगे।

ह0/–
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–02/स्था0–02–02/2024/ 3612 /आ0प्र0, पटना–23, दिनांक– 26-09-2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को उनके पत्रांक–110 लो0से0आ0/गो0 दिनांक–21.02.2024 के आलोक में/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय बजट शाखा/आई0टी0 प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु), आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०२५/२६/९
सरकार के संयुक्त सचिव